

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 111/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

मुख्य व्यवसायिक कार्यालय:- 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, 302020

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **गजेन्द्र सिंह तंवर पुत्र मदन सिंह** जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर, वार्ड नम्बर 15, गुर्जर कॉलोनी के पास, नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी वार्ड नम्बर 15, भूमि खसरा नम्बर पुराना 1083, प्लॉट नम्बर 05, ग्राम नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
2. **अनिता कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह तंवर** जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर, वार्ड नम्बर 15, गुर्जर कॉलोनी के पास, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
3. **सुनिल कुमार सैनी पुत्र ईश्वर लाल सैनी** जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 23, छावनी, 01 अभय कॉलोनी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

-अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 30 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **गजेन्द्र सिंह तंवर पुत्र मदन सिंह, अनिता कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह तंवर एवं सुनिल कुमार सैनी पुत्र ईश्वर लाल सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अनिता कंवर** के

॥

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 05, ग्राम नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 208.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, पश्चिम दिशा में खाली भूमि, उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या 1 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 9 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹2,50,000/- (अक्षरे रूपये दो लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **गजेन्द्र सिंह तंवर पुत्र मदन सिंह, अनिता कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह तंवर एवं सुनिल कुमार सैनी पुत्र ईश्वर लाल सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु



२
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अनिता कंवर** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 05, ग्राम नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 208.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता 20 फीट चौड़ा, पश्चिम दिशा में खाली भूमि, उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या 1 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 9 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **30 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर